बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 14.01.2021

थाना बहेडी जनपद बरेली

थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा वाट्सएप ग्रुप पर विद्वेषपूर्ण आश्य से धार्मिक विश्वासो का अपमान उच्चारित लिखित शब्दो वाली फोटो वाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने वाले अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र आनन्दमित्र निवासी ग्राम नदेली थाना बहेड़ी जिला बरेली को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक/अभद्र पोस्टों की निगरानी हेतु समय–समय पर सोशल मीडिया सैल, बरेली को आवश्यक/त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के कुशल पर्यवेक्षण मे दिनांक 14.01.2021 को कोतवाली बहेडी के परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सत्यनारायण प्रजापत (आई0पी0एस0) व निरीक्षक पंकज पंत के कुशल नेतृत्व में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वाट्सएप ग्रुप पर विद्वेषपूर्ण आश्य से धार्मिक विश्वासो का अपमान उच्चारित लिखित शब्दो वाली फोटो वाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने वाले अभियुक्त 1.अनुज कुमार पुत्र आनन्दमित्र निवासी ग्राम नदेली थाना बहेड़ी जिला बरेली के विरूद्ध थाना बहेडी पर मु0अ0सं0 27/2021 धारा 295A IPC व 66 IT Act में पंजीकृत कर नदेली चौराहे से समय करीब 12.36 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः– अनुज कुमार पुत्र आनन्द मित्र निवासी ग्राम नदेली थाना बहेड़ी जिला बरेली के विरूद्ध थाना बहेडी।

पंजीकृत अभियोगः– मु0अ0सं0 27/2021 धारा 295A IPC व 66 IT Act थाना बहेडी, बरेली।

पुलिस टीम का विवरणः–

1. निरीक्षक पंकज पंत थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
2. उ0नि0 अनुज कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
3. का0 3059 ललित मलिक थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
4. का0 1908 गौरव खारी थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
5. म0का0 705 रोबिन रानी थाना बहेड़ी जनपद बरेली।
6. म0का0 1086 भारती शर्मा थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बरेली।

नोटः- सोशल मीडिया पर इस तरीके की आपत्तिजनक पोस्टों की निगरानी सोशल मीडिया सैल, बरेली द्वारा निरन्तर की जा रही है। अतः बरेली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि आपत्तिजनक पोस्ट कदापि न करें अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।